

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 जून 2021—ज्येष्ठ 13, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जून 2021

क्र. एफ ए 3-33-2017-1-पांच (34).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए 3-33-2017-1-पाँच (42), दिनांक 05 अगस्त 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (क) अनुसूची I – 2.5% में, क्रम संख्या 259क के समक्ष कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “9503” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) अनुसूची I के पश्चात्, सूची 1 में, क्रम संख्या 230 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :—
“(231). डायथाइलकार्बामाजिन”.

2. यह अधिसूचना दिनांक 02 जून 2021 से लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 3 जून 2021

क्र. एफ ए 3-33-2017-1-पांच (34).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच (34), दिनांक 3 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd June 2021

No. F A 3-33-2017-1-V-(34).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 and sub-section (5) of Section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F-A3-33-2017-1-V (42), dated the 29th June, 2017, namely :—

In the said notification,—

- (a) in Schedule I - 2.5%, against S. No. 259A, for the entry in column (2), the entry "9503" shall be substituted;
- (b) after Schedule I, in the List 1, after serial number 230 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely—
"(231). Diethylcarbamazine".

2. This notification shall come into force on the 2nd day of June, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.